न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 124/2022 बउनवानी महेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी पुत्र श्री हीरालाल ,निवासी अम्बेडकर धर्मशाला के सामने वार्ड नम्बर 6 गंगापुर सिटी

GCMS No-2022/185

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
4.11.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 6.9.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:- 1. दिनांक 31.5.2022 को दिये गये प्रार्थना पत्र रिसीव नम्बर 1705 दिनांक 31.5.2022 उससे आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी उसकी लिखित जानकारी चाहिए। 2. ख0न0 1293/503 ग्राम मिर्जापुर गंगापुर सिटी मे स्थित है उस जमीन पर आपको रिसीवर नियुक्त कर रखा है। दीपचन्द पुत्र परभाती द्वारा रिसीवरी जमीन मे किये गये अतिक्रमणश 25x10 जगह मे से क्यो नही हटाया गया है। क्या कारण है ओर कब तक अतिक्रमण को हटाया जावेगा हमे लिखित मे जानकारी देवे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी के जवाब नोटिस क्रमांक/सू.का.अ./2022/2323 दिनांक 14.10.2022 से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2022 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रश्नात्मक/सृजनात्मक होने के कारण लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 2188 दिनांक 23.9.2022 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.9.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 की सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है किन्तु बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रश्नात्मक/सृजनात्मक होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। ऐस[illegible] मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमा[illegible] बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.17 17:39:09 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर